उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून
E-mail : ufdc2015@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in
दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 01/ सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 31 / 2003 टी.सी. दिनांक : 04 अप्रैल, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–126 / XXII-02(8)2023 दिनांक 14 मार्च, 2024 के माध्यम से "उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024" प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के प्रस्तर–6 में उल्लेखित प्रतिबंधों के अधीन फिल्म अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु दिशा–निर्देश :–

1. फिल्म अनुदान के प्रस्तावों पर तकनीकी समिति एवं वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।
2. परिषद को प्राप्त होने वाले फिल्म अनुदान प्रस्ताव के आधार पर बैठकों का निर्धारण किया जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष माह जुलाई एवं माह जनवरी में बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा। जुलाई माह की बैठक हेतु 31 मार्च तक प्राप्त प्रस्तावों को तथा जनवरी माह की बैठक हेतु 31 अक्टूबर तक प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में बैठक आहूत किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता सकता है।
3. फिल्म अनुदान हेतु प्रस्ताव जमा किये जाने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर परिषद को फिल्म अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने चाहिए, इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा। फिल्म फेस्टिवल में प्रतिभाग करने की स्थिति में उपरोक्त समय–सीमा में विचलन हेतु फिल्म निर्माता को लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
4. परिषद द्वारा अधिसूचित ओ.टी.टी. प्लेटफार्म पर प्रसारित फिल्मों को ही फिल्म अनुदान दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. फिल्म अनुदान हेतु प्रस्ताव जमा करते समय फिल्म निर्माता / निर्देशक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा फिल्म नीति के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई है।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
/ फिल्म विकास परिषद।